P.N-212-
16-12-21

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
11/09/19	**न्यायालय उपायुक्त –सह– जिला दंडाधिकारी, गढ़वा** अनुज्ञप्ति अपील वाद सं0– 11/2016–17 रविन्द्र नाथ मेहता बनाम झारखण्ड सरकार **आदेश** यह वाद आवेदक रविन्द्रनाथ मेहता वल्द स्व0 रामदेव मेहता ग्राम–चोका थाना–कांडी जिला गढ़वा की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा द्वारा दिनांक 27.2.2016 को अनुज्ञप्ति संख्या 59/90 निरस्त करने संबंधी पारित आदेश के विरूद्ध दायर अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है । आवेदक का अपील आवेदन में कहना है कि आवेदक के विरूद्ध जन संवाद में दर्ज शिकायत संख्या 15/6456 जो माह अक्टूबर और दिसम्बर का खाद्यान्न नहीं देने चावल 2.00 रूपये एवं चीनी 22.00 रूपये की दर से वितरण करने खाद्यान्न 35 किलो के स्थान पर 32 किलो एवं 33 किलो देने तथा 1.00 रूपये के स्थान पर 2.00 रूपये किलो की दर से लेने तथा लाभुकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने से संबंधित है । उक्त आरोप के विरूद्ध कारण पृच्छा की मांग की गई ।.अपीलार्थी की ओर से दाखिल कारण पृच्छा से असंतुष्ट होकर अनुमण्ल पदाधिकारी गढ़वा द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या 59/90 दिनांक 27.2.2016 को निरस्त कर दिया गया । अपील आवेदन में आगे उनका यह भी कथन है कि रंगनाथ दूबे ग्राम चोका द्वारा गलत आरोप लगाया गया है । रंगनाथ दूबे का नाम बी0पी0एल0 सूची में था जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची से काट दिया गया फिर भी वे युनिट से ज्यादा खाद्यान्न की मांग कर रहे थे परन्तु अपीलार्थी द्वारा जब ज्यादा खाद्यान्न देने से इनकार कर दिया गया तो उन्होने अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय में गलत विविध वाद दायर किया गया है जिसमें रविन्द्र मेहता को विपक्षी बनाया गया है । शिकायतकर्ता रंगनाथ दूबे राजनीति से प्रेरित होकर स्वार्थ की पूर्ति हेतु अपीलार्थी (विक्रेता)पर गलत आरोप लगाये हैं । अपने अपील आवेदन में उन्होने अनुज्ञप्ति संख्या 59/90 जो दिनांक 26.2.2016 को निरस्त किया गया है, संबंधी आदेश को वापस लेने हेतु अनुरोध किया है । अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी जन वितरण प्रणाली दुकानदार के हैसियत से हमेशा अनुज्ञप्ति शर्तो के अनुरूप दुकान का संचालन करते रहे हैं । अपीलार्थी द्वारा निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न आपूर्ति करने एवं उचित मूल्य लेने के बावजुद भी अपना निजी स्वार्थ वश कम मात्रा में खाद्यान देने एवं अधिक राशि लेने का अरोप लगाया गया है,जो निराधार एवं असत्य है। अपने तर्क में उन्होंने अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए अनुज्ञप्ति संख्या 59/90 को पुनर्जीवित करने हेतु अनुरोध किया है । अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने वो निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ–साथ सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी रविन्द्रनाथ मेहता जो जन वितरण प्रणाली दुकानदार थे , द्वारा लाभूकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न देने एवं निर्धारित मूल्य से अधिक राशि लेने के विरूद्ध ग्रामीणों द्वारा दर्ज	P.N-150- 4-10-2019

शिकायत पर अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा द्वारा दिनांक 27.2.2016 को अनुज्ञप्ति संख्या 59/90 रद्द की गई है । नियमतः निर्धारित मात्रा से कम खाद्यानों का वितरण करना एवं निर्धारित मूल्य से अधिक राशि लेना लोकहीत एवं अनुज्ञप्ति शर्तो के प्रतिकूल है । अपीलार्थी का यह कथन कि निर्धारित मूल्य पर उचित मात्रा में खाद्यान का वितरण करने के बावजुद भी नीजी स्वार्थवश गलत आरोप लगाया गया है, निराधार प्रतीत होता है । अपीलार्थी की ओर से अपने दावे के समर्थन में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं दिया गया है जो उन्हें निर्दोष प्रमाणित कर सके । निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ संलग्न कार्यपालक दण्डाधिकारी गढ़वा के जॉच प्रतिवेदन से भी अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये गए आरोपों की पुष्टि होती है ।

इस प्रकार सम्पूर्ण तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि अपीलार्थी के विरूद्ध लगाया गया आरोप उचित प्रतीत होता है । चूँकि निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ संलग्न जॉच प्रतिवेदन में भी निर्धारित मात्रा से खाद्यान का वितरण करने एवं निर्धारित मूल्य से अधिक राशि लेने की बात की पुष्टि होती है । फलतः उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य में अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या 59/90 को रद्द करने संबंधी दिनांक 27.2.2016 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है ।

लेखापति एवं संशोधित

11/09/19

उपायुक्त –सह–
जिला दण्डाधिकारी,गढ़वा।

11/09/19

उपायुक्त –सह–
जिला दण्डाधिकारी,गढ़वा।

Digitally signed by SHEKHAR JAMUAR
Date: 2024.06.15 13:50:05 +05:30
Location: 192.168.31.7